Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 11, Issue-IV, April 2026

भारत में परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिकाः उनके कार्य, चुनौतियों एवं सुधारों का विश्लेषण (The Role of Counselors in Family Courts in India: An Analysis of Their Functions, Challenges, and Reforms)

Sarita Rajani[a,*], **Dr. Rajvendra Kumar Chaudhary**[b,**]
[a] *Ph.D. Scholar, Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India.*
[b] *Associate Professor (Law), Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India.*

KEYWORDS
कुटुम्ब न्यायालय, परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, सुलह, मध्यस्थता, पारिवारिक न्याय, महिला अधिकार, बाल कल्याण।

ABSTRACT
कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ने पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर सुलह एवं परामर्श आधारित व्यवस्था को अपनाया। परिवार न्यायालयों में परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें मेल–मिलाप स्थापित करने, विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने, बच्चों के हितों की रक्षा करने तथा न्यायाधीशों को पारिवारिक विवादों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। यह शोध–पत्र परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका, कार्य, महत्व एवं चुनौतियों का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह वर्तमान परामर्श व्यवस्था की कमियों का मूल्यांकन करते हुए उसके सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि परामर्शदाताओं ने पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथापि उनकी प्रभावशीलता अपर्याप्त प्रशिक्षण, कर्मियों की कमी, असमान नियुक्ति प्रक्रियाओं तथा संस्थागत समर्थन के अभाव के कारण प्रभावित होती है। अतः परिवार न्यायालयों के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं।

1. प्रस्तावना

परिवार भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई है, जो व्यक्तियों के सामाजिककरण, भावनात्मक विकास तथा आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों, तीव्र शहरीकरण, महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी, जीवनशैली में बदलाव तथा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के परिणामस्वरूप पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों की प्रकृति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों के साथ–साथ वैवाहिक विवाद, तलाक, भरण–पोषण, अभिरक्षा तथा घरेलू संबंधों से जुड़े अन्य विवादों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है (Agrawal, 2018)।

पारंपरिक न्यायिक प्रणाली मुख्यतः प्रतिद्वंद्वी प्रक्रिया पर आधारित है, जहाँ विवाद के समाधान की अपेक्षा कानूनी अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण पर अधिक बल दिया जाता है। पारिवारिक विवादों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह व्यवस्था कई बार पक्षकारों के मध्य तनाव को कम करने के बजाय उसे और अधिक जटिल बना सकती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ''कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984'' लागू

Corresponding author
***E-mail:** saritapoem@gmail.co.in (Sarita Rajani). https://orcid.org/0009-0006-4461-3556
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v11n4.03
Received 7th Feb. 2026; Accepted 20th March 2026
Available online 30th April 2026
2454-8367/©2026 The Journal. Published by Jai Maa Saraswati Gyandayini e-Journal (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

किया, जिसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु एक अधिक मानवीय, सहयोगात्मक तथा कल्याणोन्मुख न्यायिक तंत्र स्थापित करना था (Government of India, 1984)।

परिवार न्यायालयों की विशेषता यह है कि वे न्यायिक निर्णय के साथ–साथ सुलह, मध्यस्थता और परामर्श जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस व्यवस्था में परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे विवादरत पक्षों के मध्य संवाद स्थापित करने, पारिवारिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने, बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने तथा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में सहायक होते हैं। उनका कार्य केवल समझौते तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे न्यायालय को विवाद की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि समझने में भी सहायता प्रदान करते हैं (Diwan, 2021).

हालाँकि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी उनके समक्ष अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, सीमित संसाधन, कार्यभार का दबाव, संस्थागत समर्थन का अभाव तथा बदलती पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न जटिलताएँ उनके कार्य की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में असमानता भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरती है (Law Commission of India] 1974)।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन भारत के परिवार न्यायालयों में कार्यरत परामर्शदाताओं की भूमिका का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य उनके प्रमुख कार्यों, समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सुधारों का परीक्षण करना है, ताकि परिवार न्यायालयों की कार्यक्षमता और विवाद समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं न्यायसंगत बनाया जा सके।

2. शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परामर्शदाताओं से संबंधित विधिक ढाँचे का अध्ययन करना।
2. परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विश्लेषण करना।
3. परामर्शदाताओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना।
4. महिलाओं एवं बच्चों के हितों की सुरक्षा में परामर्शदाताओं की भूमिका का अध्ययन करना।
5. परिवार न्यायालयों में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें रिपोर्ट, परिवार न्यायालय अधिनियम, विधि आयोग की रिपोर्टें, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन तथा संबंधित अकादमिक साहित्य शामिल हैं। अध्ययन में गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके माध्यम से परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।

3.1 उत्तरदाताओं का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। उत्तरदाताओं में विधि के विद्यार्थी, अधिवक्ता, शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, विवाहित नागरिक तथा परिवार न्यायालय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति शामिल थे। इन उत्तरदाताओं का

चयन सुविधाजनक निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया। विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने का उद्देश्य परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका के संबंध में विविध दृष्टिकोण प्राप्त करना था। इससे अध्ययन की विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता में वृद्धि हुई।

3.2 सर्वेक्षण परिणाम (100 उत्तरदाताओं पर आधारित)

उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उनके आधार पर विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है–

तालिका 1

प्र. क्या परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

क्र.स.	उत्तर	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	72	72
2	नहीं	12	12
3	निश्चित नही	16	16
कुल		**100**	**100**

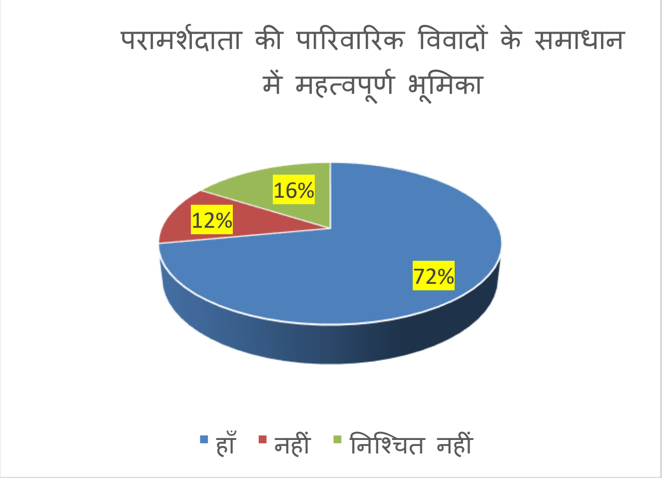

व्याख्या

उपरोक्त तालिका एवं पाई चार्ट से स्पष्ट होता है कि कुल 100 उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश लोग परामर्शदाताओं को विवाद निवारण, संवाद स्थापना तथा पारिवारिक संबंधों के संरक्षण में प्रभावी मानते हैं।

वहीं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है। उनका मानना है कि परामर्शदाताओं की भूमिका अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं है या विवाद समाधान में उनका योगदान सीमित है।

इसके अतिरिक्त 16 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सके। इसका कारण परिवार न्यायालयों की कार्यप्रणाली तथा परामर्शदाताओं की भूमिका के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव हो सकता है।

अतः सर्वेक्षण के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका को व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है तथा अधिकांश उत्तरदाता उन्हें पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। यह परिणाम परिवार न्यायालयों में परामर्श सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

निष्कर्ष: 72 प्रतिशत सकारात्मक प्रतिक्रिया यह सिद्ध करती है कि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाता विवाद समाधान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।

उत्तरदाताओं का बहुमत परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका का समर्थन करता है। अतः परिवार न्यायालयों में प्रशिक्षित, स्थायी एवं लैंगिक रूप से संवेदनशील परामर्शदाताओं की नियुक्ति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके

4. परामर्शदाताओं से संबंधित विधिक ढाँचा

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ने परामर्श को

पारिवारिक विवादों के समाधान का एक मूलभूत साधन माना है। अधिनियम की धारा 6 राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे परिवार न्यायालयों की सहायता हेतु आवश्यक संख्या में परामर्शदाताओं, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करें।

इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल न्यायिक निर्णय देना नहीं, बल्कि विवादित पक्षों के मध्य समझौता और मेल–मिलाप स्थापित करना है। सामान्य दीवानी न्यायालयों में न्यायाधीश मुख्यतः कानूनी अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करते हैं, जबकि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाता सामाजिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं।

अधिनियम का मूल दर्शन यह है कि पारिवारिक विवाद केवल कानूनी समस्या नहीं होते, बल्कि वे मानवीय संबंधों, भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़े होते हैं। इसलिए परामर्शदाताओं की भूमिका परिवार न्यायालय की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है।

5. परामर्शदाताओं की नियुक्ति का उद्देश्य

- परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मुकदमेबाजी के बजाय संवाद और समझौते के माध्यम से सुलझाना है।
- परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पति–पत्नी के बीच उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करें, संवाद स्थापित करें तथा जहाँ संभव हो, वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करें। यदि पुनर्मिलन संभव न हो, तो वे विवादित पक्षों को सम्मानजनक और न्यायसंगत समझौते तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं।
- परामर्शदाता केवल पति–पत्नी के संबंधों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चों के हित, परिवार की आर्थिक स्थिति तथा पक्षकारों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार उनका कार्य केवल विवाद समाधान तक सीमित न होकर सामाजिक कल्याण से भी जुड़ा हुआ है।

6. परामर्शदाताओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व

परिवार न्यायालयों में परामर्शदाता बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य विवादित पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना है।

(क) मेल–मिलाप और सुलह

- परामर्शदाता पति–पत्नी के बीच उत्पन्न तनाव, मतभेद और गलतफहमियों को समझने का प्रयास करते हैं। वे दोनों पक्षों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा विवाद के वास्तविक कारणों की पहचान करते हैं।
- अनेक मामलों में केवल संवाद की कमी के कारण विवाद बढ़ जाते हैं। परामर्शदाता इस दूरी को कम करने का प्रयास करते हैं और विवाह को बचाने की संभावनाएँ तलाशते हैं।

(ख) विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान

जब पुनर्मिलन संभव नहीं होता, तब परामर्शदाता पक्षकारों को वैकल्पिक समाधान खोजने में सहायता करते हैं। इनमें शामिल हैं–

- भरण–पोषण
- बच्चों की अभिरक्षा
- मुलाकात के अधिकार
- संपत्ति संबंधी विवाद
- वैवाहिक दायित्वों से संबंधित मुद्दे

इस प्रकार परामर्शदाता मुकदमेबाजी को कम करने और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

(ग) भावनात्मक सहयोग

पारिवारिक विवाद अक्सर मानसिक तनाव, अवसाद और भावनात्मक असुरक्षा उत्पन्न करते हैं। परामर्शदाता पक्षकारों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं तथा उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

(घ) न्यायालय की सहायता

परामर्शदाता न्यायालय को परिवार की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें न्यायाधीशों को निष्पक्ष एवं व्यावहारिक निर्णय लेने में सहायता करती हैं।

7. परामर्शदाताओं की जाँच एवं मूल्यांकन संबंधी शक्तियाँ

कुछ राज्यों में परामर्शदाताओं को व्यापक जाँच संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से मॉडल में परामर्शदाताओं को परिवार की परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है।

इन अधिकारों में शामिल हैं–

- **गृह भ्रमण–** परामर्शदाता पक्षकारों के निवास स्थान का दौरा कर सकते हैं ताकि उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों को समझ सकें।
- **पारिवारिक वातावरण का मूल्यांकन–** वे परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों, बच्चों की स्थिति तथा घरेलू वातावरण का अध्ययन करते हैं।
- **आर्थिक स्थिति का आकलन–** परामर्शदाता पति–पत्नी की आय, जीवन–स्तर और आर्थिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **नियोक्ताओं से जानकारी प्राप्त करना–** आवश्यक होने पर वे संबंधित व्यक्तियों के नियोक्ताओं या अन्य संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन शक्तियों का उद्देश्य न्यायालय को परिवार की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना है ताकि न्यायिक निर्णय अधिक यथार्थपरक और न्यायसंगत हो सकें।

8. परामर्श प्रक्रिया में गोपनीयता का महत्व

परामर्श प्रक्रिया में गोपनीयता के महत्व निम्नलिखित है–

- गोपनीयता परामर्श प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।
- सामान्य न्यायालयों में पक्षकार अक्सर निजी और संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने में संकोच करते हैं। परंतु परामर्शदाता के समक्ष वे अधिक सहज महसूस करते हैं और खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं।
- कई शोधों में उल्लेख किया गया है कि कई बार पति ऐसे तथ्यों को परामर्शदाता के समक्ष स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें वे न्यायालय के समक्ष स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरा विवाह करने की बात परामर्शदाता के सामने स्वीकार की जा सकती है जबकि वही तथ्य न्यायालय में नकार दिया जाता है।
- गोपनीयता के कारण परामर्शदाता विवाद की वास्तविक प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और प्रभावी समाधान सुझा सकते हैं।
- हालाँकि, गोपनीयता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि परामर्शदाता निष्पक्ष, प्रशिक्षित और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हों।

9. महिला अधिकारों की सुरक्षा में परामर्शदाताओं की भूमिका

महिलाएँ अक्सर वैवाहिक विवादों में आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होती हैं।

इसलिए परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

परामर्शदाता महिलाओं को–

- उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हैं।
- भरण–पोषण संबंधी दावों को समझने में सहायता करते हैं।
- घरेलू हिंसा की परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराते हैं।

कई रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि परामर्शदाताओं को केवल विवाह बचाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि महिला घरेलू हिंसा, शोषण या गंभीर उत्पीड़न का सामना कर रही हो, तो जबरन समझौता करवाना उसके हितों के विरुद्ध हो सकता है।

इसी कारण लैंगिक संवेदनशीलता को परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग माना गया है।

10. बाल कल्याण में परामर्शदाताओं की भूमिका

परिवार न्यायालयों के समक्ष आने वाले अधिकांश विवाद बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे मामलों में परामर्शदाता बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वे बच्चों की–

- भावनात्मक स्थिति
- शैक्षणिक आवश्यकताओं
- सामाजिक विकास
- अभिभावकों के साथ संबंध

का मूल्यांकन करते हैं।

बच्चों की अभिरक्षा एवं मुलाकात संबंधी मामलों में परामर्शदाता न्यायालय को यह सुझाव देते हैं कि कौन–सी व्यवस्था बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगी।

इस प्रकार परामर्शदाता केवल पति–पत्नी के बीच विवाद समाधान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चों के समग्र विकास और कल्याण को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

11. परामर्शदाताओं के समक्ष चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

यद्यपि परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी उनकी कार्यक्षमता अनेक व्यावहारिक समस्याओं से प्रभावित होती है।

(क) योग्य परामर्शदाताओं की कमी

- परिवार न्यायालयों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक प्रशिक्षित और योग्य परामर्शदाताओं की कमी है। अनेक राज्यों में पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता उपलब्ध नहीं हैं। कुछ न्यायालयों में तो वर्षों तक कोई नियमित परामर्शदाता नियुक्त ही नहीं किया गया।
- इस स्थिति में न्यायाधीशों को स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभानी पड़ती है, जिससे उनके ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है और परामर्श प्रक्रिया की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

(ख) अपर्याप्त प्रशिक्षण

प्रभावी परामर्श के लिए केवल सामाजिक कार्य का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। परामर्शदाताओं को निम्नलिखित विषयों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है

- मनोविज्ञान
- पारिवारिक चिकित्सा
- मध्यस्थता
- संघर्ष समाधान
- घरेलू हिंसा
- महिला अधिकार

- बाल मनोविज्ञान

(ग) बार–बार स्थानांतरण

- परामर्शदाताओं के लगातार स्थानांतरण से भी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जब कोई नया परामर्शदाता नियुक्त होता है, तो पक्षकारों को अपनी पूरी कहानी पुनः बतानी पड़ती है।
- विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभवों को बार–बार दोहराना पड़ता है।

(घ) अपर्याप्त वेतन एवं संस्थागत समर्थन

अनेक राज्यों में परामर्शदाताओं को पर्याप्त वेतन, सुविधाएँ और व्यावसायिक सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप योग्य व्यक्तियों को इस क्षेत्र में आकर्षित करना कठिन हो जाता है। कम वेतन और सीमित संसाधनों के कारण परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

12. विवाह संरक्षण बनाम न्याय का प्रश्न

कुछ मामलों में–

- घरेलू हिंसा
- मानसिक उत्पीड़न
- आर्थिक शोषण
- परित्याग

जैसी परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं। ऐसे मामलों में केवल समझौते पर जोर देना उचित नहीं माना जा सकता। यदि परामर्शदाता प्रत्येक स्थिति में विवाह बचाने का प्रयास करेंगे, तो यह विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः परामर्शदाताओं का उद्देश्य केवल विवाह को बनाए रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होना चाहिए।

13. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

इस अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं–

1. परामर्शदाता परिवार न्यायालयों की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।
2. परामर्श प्रक्रिया मुकदमेबाजी को कम करने और सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में सहायक है।
3. गोपनीय वातावरण पक्षकारों को खुलकर अपनी समस्याएँ व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
4. बच्चों के हितों की रक्षा में परामर्शदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5. विभिन्न राज्यों में परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक असमानता पाई जाती है।
6. प्रशिक्षित एवं स्थायी परामर्शदाता बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं।
7. लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावी परामर्श का अनिवार्य तत्व है।
8. संस्थागत समर्थन और पर्याप्त संसाधनों के बिना परामर्श व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकती।

14. निष्कर्ष

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परामर्शदाताओं की व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली की एक अत्यंत प्रगतिशील और मानवीय पहल है। यह व्यवस्था इस विचार पर आधारित है कि पारिवारिक विवाद केवल कानूनी प्रश्न नहीं होते, बल्कि वे भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयामों से भी जुड़े होते हैं।

परामर्शदाता परिवार न्यायालयों को अधिक संवेदनशील, सुलभ और कल्याणकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे न केवल विवादों के समाधान में सहायता करते हैं, बल्कि परिवारों को टूटने से बचाने, बच्चों के हितों की

रक्षा करने और पक्षकारों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

हालाँकि, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, अपर्याप्त संसाधन, असमान नियुक्ति प्रक्रियाएँ तथा संस्थागत कमजोरियाँ उनकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। यदि स्थायी नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन और लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए, तो परामर्शदाता परिवार न्यायालयों के उद्देश्यों की प्राप्ति में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि एक सशक्त, प्रशिक्षित और पेशेवर परामर्श व्यवस्था ही परिवार न्यायालयों को वास्तव में न्यायपूर्ण, मानवीय और समाजोपयोगी संस्था बना सकती है।

15. आवश्यक सुझाव

(1) **स्थायी नियुक्तियाँ–** सभी परिवार न्यायालयों में स्थायी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। अस्थायी और अंशकालिक व्यवस्था से परामर्श की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(2) **राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता–** देशभर में परामर्शदाताओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों के लिए एक समान मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

(3) **नियमित प्रशिक्षण–** परामर्शदाताओं को समय–समय पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए–

- लैंगिक न्याय
- घरेलू हिंसा
- बाल संरक्षण
- मनोवैज्ञानिक परामर्श
- मध्यस्थता तकनीक

(4) **बेहतर आधारभूत संरचना–** परिवार न्यायालयों में परामर्श के लिए अलग कक्ष, गोपनीय वातावरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(5) **गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग–** परिवार न्यायालयों को गैर–सरकारी संगठनों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा महिला सहायता संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि विवादित पक्षों को व्यापक सहायता उपलब्ध हो सके।

16. सन्दर्भसूची

Agrawal, H. O. (2018). *Family law in India* (7th ed.). Central Law Publications.

Bajpai, A. (2017). *Child rights in India: Law, policy, and practice* (3rd ed.). Oxford University Press.

Diwan, P. (2021). *Modern Hindu law* (27th ed.). Allahabad Law Agency.

Diwan, P. (2021). *Modern Hindu law* (27th ed.). Allahabad Law Agency.

Family Courts Act, No. 66 of 1984, India Code (1984). Government of India. https://legislative.gov.in

Government of India. (1984). *The Family Courts Act, 1984 (Act No. 66 of 1984).* Ministry of Law and Justice. https://legislative.gov.in

Government of India. (1984). *The Family Courts Act, 1984*. Ministry of Law and Justice. https://legislative.gov.in

Jain, M. P. (2022). *Indian constitutional law* (9th ed.). LexisNexis.

Kaushik, A. (2019). Family counseling and dispute resolution in family courts: An emerging perspective. *Indian Journal of Social Work, 80*(3), 321–336.

Law Commission of India. (1974). *Fifty-ninth report on the Hindu Marriage Act, 1955 and special marriage act, 1954*. Government of India.

Law Commission of India. (1974). *Fifty-ninth report on the Hindu Marriage Act, 1955 and Special Marriage Act, 1954*. Government of India.

Law Commission of India. (1988). *129th report on urban litigation—Mediation as an alternative to adjudication*. Government of India.

Paras Diwan, & Peeyushi Diwan. (2020). *Family law: Law of marriage and divorce in India* (12th ed.). LexisNexis.

Rao, M. S. A. (2018). *Urban sociology in India*. Orient BlackSwan.

Singh, A. (2021). Role of counselors in family dispute resolution: A socio-legal analysis. *Journal of Indian Law and Society, 12*(2), 85–102.

Supreme Court of India. (2003). *Salem Advocate Bar Association v. Union of India*, (2003) 1 SCC 49.

Supreme Court of India. (2017). *K. Srinivas Rao v. D. A. Deepa*, (2013) 5 SCC 226.

United Nations Children's Fund. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind—Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF. https://www.unicef.org

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations. https://www.ohchr.org

Verma, S. K., & Sharma, R. K. (2018). Counseling services in family courts: Challenges and prospects in India. *Indian Journal of Socio-Legal Studies, 5*(1), 45–58.

Annexure A

प्रश्नावली

निर्देशः कृपया प्रत्येक प्रश्न के लिए उचित विकल्प चुनें।

1.क्या आप परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका से परिचित हैं?
(क) हाँ
(ख) नहीं

2.क्या परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
(क) हाँ
(ख) नहीं
(ग) निश्चित नहीं

3.क्या परामर्श प्रक्रिया मुकदमेबाजी को कम करने में सहायक है?
(क) हाँ
(ख) नहीं
(ग) कुछ हद तक

4.क्या परामर्शदाता पति–पत्नी के बीच संवाद स्थापित करने में सफल होते हैं?
(क) हाँ
(ख) नहीं
(ग) कभी–कभी

5.क्या परिवार न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित परामर्शदाता उपलब्ध हैं?
(क) हाँ
(ख) नहीं
(ग) जानकारी नहीं

6.क्या महिला एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा में परामर्शदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है?
(क) हाँ
(ख) नहीं
(ग) निश्चित नहीं

****